न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान महावीर आदि बनाम अमीचंद आदि

वाद संख्या 22 वर्ष 2024

निर्णय दिनांक :— 17/5/2025

1. महावीर पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
2. शंकरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
3. सुगनचंद पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
4. हरलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
5. बजरंगलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू

— वादीगण —

बनाम

1. अमीचंद पुत्र गंगाजल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
2. औमप्रकाश पुत्र गंगाजल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
3. जगदीश प्रसाद पुत्र गंगाजल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
4. द्रोपदी पत्नी स्व. कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
5. भागीरथ पुत्र कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
6. लीलाधर पुत्र कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
7. संजू पुत्री कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
8. संतोष पुत्री कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
9. मैना देवी पत्नी औमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

— प्रतिवादीगण —

11. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

— गौण प्रतिवादीगण —

उपस्थिति :—

1. श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री लक्ष्मीनारायण एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार तारानगर।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी

तारानगर(चूरू)

—:निर्णय:—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत की दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषिभूमि खेत खसरा नं. 139 तादादी 2.1749 हेक्टेयर, खसरा नं. 32 तादादी 1.0116 हेक्टेयर, खसरा नं. 65 तादादी 5.9179 हेक्टेयर कुल तादादी 9. 1044 हेक्टेयर रोही मौजा गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है यही विवादित कृषिभूमि है। इस कृषिभूमि में वादीगण सं. 1 का 7/120 हिस्सा, वादीगण सं. 2 का 7/120 हिस्सा, वादीगण सं. 3 का 7/120 हिस्सा, वादीगण सं. 4 का 7/120 हिस्सा, वादीगण सं. 5 का 7/120 हिस्सा है। इस प्रकार वादीगण विवादित कृषिभूमि में 35/120 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वादीगण अपने हिस्से की कृषिभूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। लेकिन खाता मुश्तरका (संयुक्त) होने के पक्षकारान के बीच भूमि काश्त के समय आसा पासा व किस्म को लेकर विवाद रहता हैं जिससे वादीगण अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नहीं कर पाता हैं। इसलिए वादीगण अपने हिस्से का खाता अलग से विभाजित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड अलग से कायम करवाना चाहता है जिसके लिये यह खाता विभाजन का वाद पेश किया जा रहा हैं।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे वाद में वर्णित भूमि का खाता अलग से विभाजित करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अलग से कायम करवा देवें तो वे दिनांक 20.10.2023 को बमुकाम गाजुवास में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादीगण को विवादित कृषि भूमि का सहखातेदार होने से प्राप्त है। आदि आदि।

इस प्रकार वादीगण ने वादपत्र पेश कर कृषिभूमि खेत खसरा नं. 139 तादादी 2. 1749 हेक्टेयर, खसरा नं. 32 तादादी 1.0116 हेक्टेयर, खसरा नं. 65 तादादी 5.9179 हेक्टेयर कुल तादादी 9. 1044 हेक्टेयर रोही मौजा गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू में अपने हिस्सा भूमि का खाता अलग से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 का वकालातनामा श्री लक्ष्मीनारायण अधिवक्ता ने पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 11 को रजिस्टर्ड सम्मन तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 इनके हक हिस्सा तक की भूमि का विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत हुये। प्रकरण वादीगण व उक्त प्रतिवादीगण के हक हिस्सा तक की भूमि के खाता विभाजन का होने से राज्यहित प्रभावित नहीं होता। दावा

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

का अन्य कोई खण्डन पेश नही हुआ। अतः तनकी कायम नहीं की गई। वकील वादीगण ने साक्ष्य नहीं करायें। बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 26.09.2024 द्वारा प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार तारानगर से वादगत कृषि भूमि में से वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के हक हिस्सा तक की भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 के अनुसार मंगवाया गया।

प्राथमिक डिकी की दिनांक 26.09.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव को उभय पक्ष के अधिवक्ता ने सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम डिकी करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव दावा के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी में दर्ज वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के हक हिस्सा तक की भूमि का है जिसे तहसीलदार तारानगर ने मौके पर जाकर तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषिभूमि खेत खसरा नं. 139 तादादी 2.1749 हेक्टेयर, खसरा नं. 32 तादादी 1. 0116 हेक्टेयर, खसरा नं. 65 तादादी 5.9179 हेक्टेयर कुल तादादी 9.1044 हेक्टेयर रोही मौजा गाजुवास का खाता विभाजन बरूये विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार किया जाता है

(1)विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर के खसरा नं. 139 मीन 1.8967 हेक्टेयर भूमि जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग नीला से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 अमीचंद का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 औमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश का 4/5 हिस्सा जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्से में रहेगी।

(2)विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर के खसरा नं. 139 मीन 0.2782 हेक्टेयर, खसरा नं 65 मीन 2.3773 हैक्ट कुल खसरें 2 तादादी 2.6555 हैक्ट. भूमि जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग पीला से दर्शाया गया है, वादी संख्या 1 ता 5 महावीर, शंकरलाल, सुगनचंद, हरलाल, बजरंगलाल पुत्रगण मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्सा में रहेगी।

(3)विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम गाजुवास तहसील तारानगर के खसरा नं. 65 मीन 3.5406 हैक्ट., खसरा नं. 32 मीन 1.0116 हैक्ट. कुल खसरे 2 तादादी 4.5522 हैक्ट. भूमि जिसे

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग हरा से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 द्रोपदी पत्नी स्व. कुरड़ाराम, लीलाधर, संजू, संतोष पुत्र/पुत्रीगण कुरड़ाराम जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू का हक हिस्सा 41/45 व मैना देवी पत्नी औमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू का हक हिस्सा 4/45 हक में रहेगी।

(4)जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 17/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)